तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 31/2023 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम के कायम मुकाम बेबी इत्यादि	बन्दर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

तुलछाराम

बनाम

काछूराम के कायम मुकाम बेबी इत्यादि

आदेश

दिनांक 23.12.2024

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104/2022 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 31/2023 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम के कायम मुकाम बेबी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 184 एवं 184/1 का मौके पर विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्तमान में खसरा नं. 184 का बंट्टा नंबर अंकित करवाकर गलत तरमीम करवा दी गई है। अपीलांट द्वारा उक्त तरमीम को शुद्ध करवाने के लिए तरमीम शुद्धि, बंटवाड़ा एवं घोषणा हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा अपने केस को विचारण न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित करने के वावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधांज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलार्थी को अपनी खातेदारी हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य व फसल अवेरने व कृषि विकास कार्य करने से रोका नहीं जा सकता है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में पक्षकारान् में विवाद है तथा रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त वाली भूमि का विशेष भू-भाग दर्शाते हुए बेचान कर दिया है। यदि रेस्पोडेंट्स अपने उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा उनका अपील करना बेकार हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2022 को निरस्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 20.10.2022 की पुष्टि किये जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान् मौके पर अपने कब्जे काश्त अनुसार काबिज है। खसरा नं. 184/1 में अपीलांट का कोई हक-हिस्सा नही है। अपीलांट रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 31/2023 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम के कायम मुकाम बेबी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नही ठहरता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट की बहस के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि खसरा नं. 184 एवं 184/1 की तरमीम सेग्रीगेशन की कार्यवाही से मौके के विपरीत हुई है तथा गलत तरमीम के कारण मौके पर पक्षकारान् में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर गलत तरमीम के तथ्य पर गौर किये बिना केवल अपीलांट के खसरा नं. 184/1 का खातेदार दर्ज नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को संशोधित किया जाना पाया जाता है जो विधिसम्मत नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 23.01.2023 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 184/1 रकबा 8.8221 हैक्टेयर का बेचान किया जाना प्रतीत होता है। मौके पर पक्षकारान् में विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 31/2023 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम के कायम मुकाम बेवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधियिम का विचारण न्यायालय में अंतिम निस्तारण होना है। मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 104/2022 बअनवान तुलछाराम बनाम काछूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 184 एवं 184/1 ग्राम मोखेरी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर